

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

करनाराम बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर ग्रामीण)

सू.अ.अपील संख्या 55/2023

न. व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में
जारी हुए

08-04-24

अपीलार्थी करनाराम माली निवासी मुथों का बास, तिंवरी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03/10/23 में (1) जगदीश प्रसाद उचित मूल्य की दुकान तिंवरी को प्राधिकार पत्र जारी करने से पूर्व प्रस्तुत आवेदन की सभी दस्तावेजों मय प्राधिकार पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर ग्रामीण) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर ग्रामीण) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर ग्रामीण) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।